RESEARCH COMMUNICATIONS
(An International Open Access, Peer Reviewed, Multidisciplinary Online Journal)
https://research-communications.cmpcollege.ac.in
ISSN: 2584-1270
Volume: 2, Issue: 2, July-December 2024, pp. 1-6

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ: राजनीतिक हस्तक्षेप या संवैधानिक सुरक्षा का साधन?

डॉ० अरुण कुमार वर्मा[1] एवं हिमांशु चौरसिया[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, सी० एम० पी० डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

[2]शोध छात्र, सी० एम० पी० डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश

भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए संवैधानिक ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए संविधान के द्वारा अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। संविधान के अंतर्गत राज्यपाल विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तीय तथा आपातकालीन शक्तियाँ धारण करता है और राज्य के मंत्रिपरिषद की सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। इन शक्तियों के दायित्व को पूरा करने के लिए संविधान, राज्यपाल को अपने स्वविवेक का प्रयोग करने की छूट देता है। राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधिकार राज्यों में संवैधानिक शासन की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि अनेक मौकों पर संवैधानिक शासन की सुरक्षा उपायों की दृष्टि से अभिप्रेत इन विवेकाधीन शक्तियों को राज्य राजनीति में हस्तक्षेप के साधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल जैसा महत्वपूर्ण पद विवादित बन गया है, जिसे लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच प्रायः संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। राज्यपाल संबंधी विवाद को संज्ञान में रखते हुए सरकार के द्वारा समय-समय पर गठित समितियों तथा आयोगों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गये है तथा न्यायालय ने भी अपने आदेश के माध्यम से स्वच्छंद रूप से प्रयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों पर नियंत्रण आरोपित किया है। हालांकि अभी भी राज्यपाल के स्वविवेक की भूमिका के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं बन पाया है। यह लेख राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की प्रकृति, उनके संवैधानिक आधार और भारत में शासन और संघवाद के लिए निहितार्थों की आलोचनात्मक जाँच करता है।

कुंजी शब्द: *राज्यपाल, संवैधानिक तथा विवेकाधीन शक्तियाँ, संघवाद, अनुच्छेद 356*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 में राज्यपाल की शक्तियों और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है।[i] इसकी नियुक्ति

राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है[ii] और यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है।[iii] राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है।[iv] यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य राज्य के मंत्रिपरिषद से है। राज्यपाल द्वारा अपने समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाता है, हालांकि कुछ स्थितियों में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना अपने विवेक के आधार पर करता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्यों को छोड़कर अपने अन्य कार्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा।[v] राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा और इसकी वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।[vi] इस प्रकार राज्यपाल को कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त है, जिसपर वह मंत्रिपरिषद की सलाह लिए बिना स्वयं निर्णय करता है। इन शक्तियों के उपयोग के मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं:

1. **मुख्यमंत्री की नियुक्ति:** संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हालांकि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता किन्तु जब विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री नियुक्त करने का विवेकाधिकार होता है।
2. **मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी:** प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करते है। जब तक उन्हें विधानसभा का बहुमत प्राप्त होता है तब तक उन्हें अपने पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। विधानसभा में बहुमत के अभाव के समय राजनीतिक संकट उत्पन्न होने पर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का विवेकाधिकार है। **डॉ० अम्बेडकर** के अनुसार, "मुख्यमंत्री उस समय पद पर नहीं रहेगा जब उसका विधान सभा में बहुमत नहीं होगा। जब मंत्रिमंडल में बहुमत का विश्वास नहीं रहता उसी समय राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देंगे।"[vii] यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत का अभाव है तथा राज्यपाल के निर्देश के बाद भी मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने में आनाकानी कर रहा हो तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है।
3. **विधानसभा का अधिवेशन तथा विघटन:** राज्य विधानमंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है।[viii] राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होने के नाते राज्यपाल को विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है और ऐसा वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद का विधानसभा में अल्पमत होने के समय राज्यपाल, मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकारी होता है। ऐसी राजनीतिक अस्थिरता के मामलों में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता हैं।
4. **किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना:** विधानसभा से पारित किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को किसी विधेयक को स्वीकृत करने, अस्वीकार करने, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजने तथा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, किन्तु कुछ मामलों में अपने विवेकाधिकार का भी प्रयोग करता है। **डी०डी० बसु** ने कहा कि, "कुछ अन्य मामलों में जैसे कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को

आरक्षित करने के मामले में राज्यपाल सदैव अपने मंत्रिपरिषद से सहमत नहीं हो सकता है। ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने का अधिकार हो सकता है, यदि वह समझता है कि विचाराधीन विधेयक संघ की शक्तियों पर बुरा प्रभाव डालेगा या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, भले ही उसके मंत्रिमंडल की राय भिन्न हो।"[ix]

5. **राष्ट्रपति शासन की सिफारिश:** राज्यपाल, राज्य के संवैधानिक शासन का प्रहरी होता है। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते वह इस बात की निगरानी करता है कि राज्य का शासन संवैधानिक मूल्यों के अनुसार चलाया जाए। राज्यपाल राज्य में किसी भी संवैधानिक गड़बड़ी के प्रति सचेत होता है और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। अनुच्छेद 356 के तहत, राज्यपाल संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना राज्यपाल का विवेकाधिकार है।

इन विवेकाधीन शक्तियों को स्थिरता और संवैधानिक मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने के तंत्र के रूप में तैयार किया गया है। हालाँकि, इसके प्रयोग के समय राजनीतिक हस्तक्षेप की भी सम्भावना बनी होती है, जो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है।

राजनीतिक हस्तक्षेप

राज्य में राज्यपाल की भूमिका स्वाभाविक रूप से जटिल होती है। उसे संवैधानिक दायित्वों के साथ-साथ स्वविवेक संबंधी दायित्वों को भी पूरा करना होता है। संवैधानिक भूमिका के संबंध में राज्यपाल संविधान द्वारा निर्देशित होता है, किन्तु विवेकाधीन शक्तियों के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण इन भूमिकाओं के संबंध में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेता है। दिशा-निर्देश का अभाव विवेकाधीन शक्तियों को राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील बना देती है, जिससे इसके दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ जाती है। विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की सम्भावना राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंताएँ पैदा करती है। जब नियुक्त राज्यपाल राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति हो अथवा केंद्र सरकार का करीबी हो, तब राज्यपाल के फैसले पक्षपातपूर्ण हितों से प्रभावित हो सकते हैं। यह स्थिति अक्सर राज्यपाल और निर्वाचित राज्य सरकार को टकराव की ओर ले जाती है। कई मौकों पर राजनीतिक संकट के दौरान विवेकाधीन शक्तियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को कमज़ोर करने तथा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साधन के रूप में प्रयोग करने के अनेक उदाहरण देखने को मिलते है।

इस तरह का पहला विवाद 1952 में मद्रास राज्य के राज्यपाल श्री प्रकाश की भूमिका को लेकर उत्पन्न हुआ था, जब राज्यपाल श्री प्रकाश ने सर्वाधिक सीटें जितने वाले संयुक्त मोर्चा के नेता टी० प्रकाशम की जगह कांग्रेस के नेता सी० राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल लाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इस घटना की आलोचना की। 2005 में झारखण्ड के 81 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में एनडीए को 36 सीटें तथा यूपीए को 26 सीटें प्राप्त हुई। एनडीए के नेता अर्जुन मुंडा ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया किन्तु राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने यूपीए के नेता शिबू सोरेन को राज्यपाल नियुक्त कर दिया। विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने में असफल होने पर शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से करता है। ऐसी नियुक्ति में केंद्र सरकार के लगातार हस्तक्षेप से बढ़ते विवाद की रोकथाम के लिए सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिया है। सरकारिया आयोग के अनुसार यदि ऐसा कोई दल नहीं है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो

तब राज्यपाल को निम्नलिखित दलों या दलों के गठबंधन में से एक मुख्यमंत्री का चयन निम्नलिखित वरीयता क्रम के अनुसार करना चाहिए।[x]

- ऐसे दलों के गठबंधन जो चुनाव के पूर्व बने हो।
- सबसे बड़ी एकल पार्टी जो निर्दलीय सहित अन्य के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रही है।
- चुनाव के बाद बने दलों का गठबंधन, जिसमें गठबंधन के सभी भागीदार सरकार में शामिल होते है।
- चुनाव के बाद बने दलों का गठबंधन, जिसमें गठबंधन में शामिल कुछ दल सरकार बनाते है और बाकी दल जिनमें निर्दलीय भी शामिल है, सरकार को बाहर से समर्थन देते है।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल को एक ऐसे नेता का चयन करना चाहिए, जिसकी विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की सम्भावना अधिक हो। ऐसे समय राज्यपाल का व्यक्तिपरक निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा।

कई मौकों पर राज्य की निर्वाचित सरकार की वैधता पर संदेह होने पर ही राज्यपालों ने राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया है या ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। 1988 में कर्नाटक में मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार दल-बदल के कारण अस्थिर हो गई। तत्कालीन राज्यपाल पी० वेंकटसुबैया ने मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने का अवसर दिए बिना ही राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर दिया। अंततः सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मनमाने तरीके से राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर रोक लगा दिया गया और इस संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया। इसी तरह की एक घटना 2016 में अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली, जब आंतरिक कलह और दल-बदल के कारण राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के कार्य की आलोचना की और इसे असंवैधानिक घोषित किया। न्यायमूर्ति जे० एस० खेहर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने राज्यपाल की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, "राज्यपालों के पास सीमित शक्तियाँ है, जिनका उपयोग निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र जीवित रहे।"[xi]

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी स्थिति को और जटिल बना देती है। इन शक्तियों का प्रयोग कब और कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में अस्पष्टता मनमाने फ़ैसलों को जन्म दे देती है, जिससे राज्य और केंद्र के अधिकारियों के बीच तनाव देखने को मिलता है। यह तनाव केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विवादास्पद फ़ैसले, जहाँ राज्यपालों ने राज्य सरकारों की इच्छा के विरुद्ध काम किया, यह दर्शाते हैं कि कैसे विवेकाधीन शक्तियाँ संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बजाय राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के लिए उपकरण बन सकती हैं। इस तरह की कार्यवाहियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अतिक्रमण करने के साथ-साथ जन भावनाओं को भी विचलित करती हैं।

संवैधानिक सुरक्षा

संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक अनिश्चितता के समय में राज्यपाल को एक स्थिर शक्ति के रूप में देखा तथा इस अनिश्चितता की रोकथाम के लिए विवेकाधीन शक्तियों की आवश्यकता को महसूस किया। संवैधानिक सुरक्षा के रूप में, राज्यपाल में निहित विवेकाधीन शक्तियाँ राज्य की अखंडता को बनाये रखने तथा लोकतंत्र के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल

की विवेकाधीन शक्तियों को परिभाषित किया गया है। राज्यपाल निम्नलिखित तरीकों से राज्य में संवैधानिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

1. **सत्ता के दुरुपयोग को रोकना:** ऐसी परिस्थिति, जिसमें सत्तारूढ़ दल असंवैधानिक प्रथाओं में संलग्न हो, तब राज्यपाल लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता हैं। उदाहरण के लिए ऐसे परिदृश्यों में जहां राज्य सरकार अपना बहुमत खो देती है या प्रभावी ढंग से काम करने में असमर्थ होती है तब, राज्यपाल का हस्तक्षेप लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुमत खो चुकी सरकार को बर्खास्त करने से सत्तावाद की जड़ों को जमने से रोका जा सकता है।
2. **राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना:** राज्यपाल अपने विवेकपूर्ण निर्णय से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में स्थिर सरकार का गठन करने में सहायक हो सकता हैं, जिससे लंबे समय तक शासन को बाधित करने वाले राजनीतिक संकटों को रोका जा सकता है। ऐसे समय में गठबंधन या किसी पार्टी से मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है, जो विधानसभा में बहुमत हासिल कर सकता है, शासन को सुविधाजनक बना सकता है और स्थिरता बहाल कर सकता है।
3. **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** राज्यपाल की विधानसभा को बुलाने और भंग करने की शक्ति सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाती है। यह जवाबदेही कानून के शासन को बनाए रखने और निर्वाचित अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करने का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो तब संवैधानिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना एक आवश्यक कदम हो सकता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ संवैधानिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये शक्तियाँ केवल औपचारिक नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता के समय में ये राज्यपाल को राज्य के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए सशक्त बनाती हैं।

निष्कर्ष

भारत के राजनीतिक परिदृश्य में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ संवैधानिक सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की सम्भावना को सीमित करके ये शक्तियाँ शासन की स्थिरता और अखंडता में योगदान करती हैं। हालांकि इन शक्तियों का प्रयोग अक्सर चुनौतियों से भरा होता है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना विवाद का विषय रही है। मुख्यमंत्री को नियुक्त करने, निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने, राष्ट्रपति शासन पर रिपोर्ट भेजने आदि के संबंध में राज्यपालों द्वारा की गई कार्यवाहियों ने पक्षपात और लोकतांत्रिक मानदंडों के क्षरण जैसे आरोपों को जन्म दिया है, जिससे संघीय भावना को भी आघात पहुँचा है। जैसे-जैसे भारत एक लोकतंत्र के रूप में विकसित होता जा रहा है, विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई हैं। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक ऐसे ढांचे को बढ़ावा देना आवश्यक है, जो इन शक्तियों के जिम्मेदाराना प्रयोग को सुनिश्चित करता है। राज्यपाल की भूमिका को निष्पक्ष तथा सकारात्मक बनाए रखने के लिए विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले स्पष्ट दिशा-निर्देशों की स्थापना के साथ-साथ राज्यपाल की नियुक्तियों के समय राजनीतिक सम्बद्धता के बजाय निष्पक्षता को ध्यान

में रखा जाए। इन विवेकाधीन शक्तियों से संबंधित संवैधानिक ढाँचे को मजबूत करने से इनके दुरुपयोग को कम किया जा सकता है, जिससे भारत में एक अधिक मजबूत और लचीले संघीय ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

बसु, डी० डी० (2014), कमेंट्री ऑन द कांस्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया, लेक्सिस नेक्सिस

मंगलानी, आर. (2017), भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी

पाण्डेय, जे. एन. (2014), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी

फाड़िया, बी.एल. (2020), भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा

Prakash, S. (1975), State Governors in India, Minakshi Publication, Meerut

Chatterjee, S. (1992). *Governor's Role in The Indian Constitution*. Mittal Publication.

Kasyap, A. (1993). *Governor Role In Indian Constitution*. Lencer's Books. New Delhi.

Sen, A. K. (1984). *Role 0f The Governors in The Emerging Pattern of Centre-State Relation in India*. National Publishing House, New Delhi.

Sawakar, M. (2019). *The Role of Governor Constitutional Position and Function*, JETIR. Vol. 2. Issue 11. Pp. 33-41.

Goyal, R. (1992). *The Governor: Constitutional Position and Political Reality*. Indian Journal of Political Science. Vol. 53. No. 4. pp. 505-523.

Pankaj, A. (2018). *Discretionary Power of Governor-lll: An Interpretation from Federal Perspective*. Indian Journal of Public Administration.

James, A. & Jonnagadla, G. (2023) *A Comprehensive Scrunity on the Discretionary Power of Governor: Controversial Vicinity Surrounding It*. International Journal of Law Management and Humanities. Vol. 6. Issue. 2. pp. 726-740.

Singh, M. P. (2017). *Discretionary Power of the Governor of a State in India* Indian Journal of Public Administration. Vol. 63. Issue 3. pp.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0019556117720613?journalCode=ipaa

Joshi, R. (2020). *Constitutional Discretionary Power of Governor, Legal Desire*, Available on https://legaldesire.com/constitutional-discretionary-power-of-governor/

---

[i] भारत का संविधान, अनुच्छेद 153

[ii] भारत का संविधान, अनुच्छेद 155

[iii] भारत का संविधान, अनुच्छेद 156

[iv] भारत का संविधान, अनुच्छेद 154

[v] भारत का संविधान, अनुच्छेद 163(1)

[vi] भारत का संविधान, अनुच्छेद 163(2)

[vii] संविधान सभा डिबेट, वॉल्यूम 8, पृष्ठ 520

[viii] दास बसु, शार्टर कांस्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया, प्रेन्टिस हाल ऑफ़ इंडिया प्रा० लि० नई दिल्ली, 1984, पृष्ठ 367

[ix] डी०डी० बसु, कमेंट्री ऑन द कांस्टिट्यूशन ऑफ़ इंडिया, लेक्सिस नेक्सिस, vol.3, पृष्ठ- 267

[x] सरकारिया आयोग, अध्याय 5, पैरा 4.11.4

[xi] Sinhs, B.(2016, July 13). SC slams governor's role in collapse of Nabam Tuki govt in Arunachal. Hindustan Times. Available on https://www.hindustantimes.com/india-news/sc-slams-governor-s-role-in-collapse-of-nabam-tuki-govt-in-arunachal/story-lL9xRIVUWcXnMcJ0fNm3EM.html